रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022026-269779
CG-DL-E-02022026-269779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947
No. 88] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 93(अ).— दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम सं0 34) की धारा 147 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इस नियम को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाए।

   (2) ये केन्द्रीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 11 में संशोधन :– दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में दिल्ली पुलिस में सहायक उप–निरीक्षक (आशुलिपि रिपोर्टर) के पद से संबंधित विद्यमान नियम 11 को हटा दिया जाएगा तथा उसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तरः–** पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर उनके साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अन्य योग्यताएं इत्यादि :–** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** ऐसा कोई भी व्यक्ति–

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगाः

शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इस नियम के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः–** इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	**सहायक उप–निरीक्षक (आशुलिपि रिपोर्टर)**
2.	**पदों की संख्या**	:	04 *(2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	**वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29,200–92,300/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 से 27 वर्ष के बीच भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	**(क) शैक्षिक योग्यताः–** उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष **(ख) पेशेवर उपलब्धियां :** हिन्दी आशुलिपि : 80 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टाइपिंग : 25 शब्द प्रति मिनट **(ग)** कम्प्यूटर का ज्ञान (एम0एस0 आफिस, डेटा विश्लेषण संबंधी) **(घ)** अभ्यर्थी का उत्तम स्वास्थ्य हो, रोग, दोष या विकृति से मुक्त होना चाहिए।

			टीप : उपरोक्त (ख) एवं (ग) के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कौशल परीक्षण आयोजित किया जाएगा।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) में सम्मिलित हैं :– 1. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस/स्था0 – **अध्यक्ष** 2. उपायुक्त पुलिस/स्थापना – **सदस्य** 3. उपायुक्त पुलिस संबंधित जिला/इकाई – **सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**		लागू नहीं

[फा. सं. 14014/10/2025-यूटीपी-I]

शुभंकर घोष, अपर सचिव (गृह–1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 93(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (Act No. 34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980, namely:

I. Short title and Commencement:

i. This Rule may be called the Delhi Police (Appointment & Recruitment)(Amendment), Rules, 2024.

ii. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Central Gazette.

Amendment of Rule-11:- In the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 the existing Rule 11, relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Shorthand Reporter) in Delhi Police, shall be deleted and substituted by the following:-

(2) **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix-** The number of posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

(3) **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.** -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

(4) **Disqualification-** No person;-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(5) **Power to relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

(6) **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification of post**	**Level in the pay Matrix**
1	**2**	**3**	**4**
Assistant Sub-Inspector (Shorthand Reporter)	**04* (2024)** *Subject to variation dependent on work load	Group-C, Non-Ministerial, Non Gazetted	'Level-5' (29200-92300) of the Pay Matrix

Whether Selection or Non-Selection post	**Age limit for direct recruits**
5	**6**
Not applicable	Between 18 to 27 years. Relaxable as per orders/instructions issued by Government of India from time to time.

Educational and other qualifications required for the direct recruits
7
a) Educational qualification: Higher Sec. or equivalent. **b) Professional attainments:** Hindi shorthand : 80 words per minute Hindi typing : 25 words per minute **c)** Computer knowledge (M.S. office, Data Analytics) **d)** The candidate should be of sound health free from disease, defect or deformity. **Note:** A skill test will be conducted for the above mentioned (b) and (c) by the Competent Authority

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**
8	**9**
Not applicable	2 years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion /deputation /absorption grades from which promotion /deputation/absorption to be made**
10	**11**
100% by Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
12
Group-C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Commissioner of Police/Estt. - **Chairman** 2. DCP /Establishment - **Member** 3. DCP concerned District/Unit - **Member**
Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13
Not Applicable

[F. No. 14014/10/2025-UTP-I]

SHUBHANKAR GHOSH, Addl. Secy. (Home-1)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA